

alpex
POWER FOREVER

ALPEX SOLAR LTD.
(Formerly known as Alpex Solar Pvt. Ltd.)
I 25-26, Site-V, Surajpur Ind. Area,
Kasna, Greater Noida,
(U P) - 201306 (India)
Tel. No.: +91 120 2341146
E-mail : info@alpex.in

Date: May 22, 2026

To
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai- 400051

Symbol: ALPEXSOLAR, ISIN: INE0R4701017

Sub: Newspaper Publication - Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed extracts of the newspaper advertisement published on May 22, 2026, in the following newspapers:

- The Economic Times - English Newspaper (All India Edition)
- Swatantra Chetna - Hindi Newspaper (Regional Edition)

The Financial Results published in the above newspapers contains a 'Quick Response (QR) code' and details of the webpage where complete Financial Results of the Company are available.

The advertisement pertains to the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2026, as approved by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on Thursday, May 21, 2026.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alpex Solar Limited

Sakshi Tomar
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.- A48936

Solar PV Module Manufacturers	Solar Electricity (RESCO)	Solar EPC	Solar Pumps	International Trading
-------------------------------	---------------------------	-----------	-------------	-----------------------

Regd. Office : B-79, Shivalik Enclave, Near Malviya Nagar, New Delhi - 110017, CIN L51909 DL 1993 PLC 171352
New Delhi | Jaipur | Ludiana | Mumbai | Tirupur
www.alpexonline.com | www.alpexsolar.com

स्वतंत्र चेतना



नई दिल्ली
वर्ष 12, अंक 264
शुक्रवार 22 मई, 2026
पृष्ठ 12 ₹2.00

www.swatantrachetnaneews.com | गोखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली, हरिद्वार, वाराणसी, आजमगढ़ व अयोध्या से प्रकाशित

बॉबी देओल की फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज

घुसपैठियों को कोर्ट में पेश करने के बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपे : शुभेन्दु

दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने शुरू, 7.72 लाख लोगों को मिलेगा लाभ : रेखा

ईरान जंग पर ट्रंप-नेतन्याहू में टकराव, तनावपूर्ण में हुयी बात

अब 1.20 लाख आय वाले भी बनवा सकेंगे राशन कार्ड, 7.71 लाख अपात्र नाम हटे




स्वतंत्र चेतना
नयी दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि लगभग 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से दोबारा शुरू कर दी गई है।
श्रीमती गुप्ता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में पात्र एवं परामर्शदाता परिवारों से आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अंत्योदय संकल्प को आधार बनाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि 15 मई 2026 से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पहले से जमा किए गए पुराने आवेदन पत्रों को आवेदकों के लॉगिन प्रोफाइल पर वापस भेजा गया है। आवेदक वर्तमान फेमिली इनकम सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन्हें दोबारा अपडेट कर जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने कार्यभार सभालने के बाद राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं। जांच में कुल 7,71,384 अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए। इनमें 6,46,123 लोग निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले थे इसलिए राशन पाने के पात्र नहीं थे। इसके अलावा 95,682

ऐसे लाभार्थी मिले जिन्होंने पिछले एक वर्ष से राशन लिया ही नहीं था। वहीं, 6,185 मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम राशन रिकॉर्ड में दर्ज थे और 23,394 लाभार्थी ऐसे पाए गए जो एक से अधिक स्थानों से राशन का लाभ ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि इन सभी अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने के बाद बड़ी संख्या में स्थान खाली हुए हैं। इससे करीब 7.72 लाख नए पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी करने का रास्ता साफ हुआ है। फिलहाल नए राशन कार्ड के लिए 3,72,367 आवेदन और राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए 99,501 आवेदन लंबित हैं।
चूंकि समय के साथ लोगों के निवास, आय और पात्रता की स्थिति बदल सकती है, इसलिए सभी आवेदकों को मौजूदा नियमों और नई पात्रता शर्तों के अनुसार फिर से आवेदन करने का

अवसर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 लागू कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया है। इसके तहत राशन वितरण व्यवस्था में बड़े स्तर पर डिजिटल सुधार किए गए हैं। राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई-वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। अब बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के राशन वितरण नहीं होगा, जिससे कम राशन मिलने और गड़बड़ियों की शिकायतों पर रोक लगेगी।
उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, नाम जोड़ने या हटाने समेत राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। नागरिक घर बैठे या अपने नजदीकी

सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक-संचालित और लाभार्थी-केंद्रित बनेगी तथा पात्र लोगों तक राशन का लाभ सही तरीके से पहुंच सकेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले परिवार की आय संबंधी जानकारी केवल स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) के आधार पर स्वीकार की जाती थी। इसके कारण कई बार अपात्र लोगों को भी राशन का लाभ मिल जाता था, जबकि वास्तविक जरूरतमंद लोग इससे वंचित रह जाते थे। अब नयी व्यवस्था के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवारों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा।



अमेरिका डील चाहता है, इजराइल बोला हमला नहीं रुकना चाहिए, ऐसा किया तो गलती होगी

इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेजहेमर नाम दिया जाना था। लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने घोषणा कर दी कि मंगलवार के लिए तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील पर यह फैसला लिया गया।

यात्रा के दौरान सतर्क रहें यात्री: वैष्णव

किसी भी सदिग्ध गतिविधियों के बारे में हेल्पलाइन नं. 139 पर सूचना दें, रेलमंत्री ने कहा आधुनिक तकनीक का उपयोग करके पीएलडी से खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया में किया जा रहा है सुधार



जुटाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त तकनीक-आधारित सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, पूरे रेल नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय मंडलों के बीच परिचालन सुरक्षा समन्वय को बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, कैमरों के स्पेसिफिकेशन को उन्नत करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित निगरानी और निगरानी प्रणाली लगाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क पर ज्यादा असरदार सुरक्षा प्रबंधन के लिए आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस

सिंह बिट्टू के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार और देश भर से आए क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में घटित हुई घटनाओं (जिनमें आग लगने की कुछ हाल की घटनाएं भी शामिल हैं) की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्वों की सलिमता के संकेत मिले हैं। भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और आरपीएफ इनकी जांच कर रहा है।
कई मामलों में, रेलवे द्वारा की गयी त्वरित और सक्रिय कार्रवाई की बदौलत बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में सफलता मिली है।
रेलवे ने गुरुवार को जारी विज्ञापन में कहा है कि बैठक में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खुफिया प्रणालियों

को मजबूत करने और सूचनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के अलावा यात्रियों को भी इस बात के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा कि वे अपनी यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में प्रतीक्षा करते समय असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सक्रिय रूप से सहयोग करें। रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहें।

इबोला वायरस को लेकर हवाई अड्डे अलर्ट, निर्देश जारी

स्वतंत्र चेतना नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इबोला वायरस को लेकर हवाई अड्डों पर विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों में यदि इबोला से जुड़े लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कार्रवाई की जाए।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) ने गुरुवार को यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जारी परामर्श में यात्रियों को स्पष्ट रूप से बताया है कि उच्च जोखिम वाले देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों से होकर गुजरने वाले यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

दिल्ली में गर्मी का 14 साल का रिकार्ड टूटा, दिन ही नहीं रात में भी सितम

स्वतंत्र चेतना नई दिल्ली। दिल्ली में मई महीने की अब तक की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जब न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार यह पिछले लगभग 14 वर्षों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। इससे पहले 26 मई 2012 को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सफदरजंग और लोधी रोड सहित कई स्टेशनों पर रात में गर्म मौसम की स्थिति रही।
गर्म रात तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है।

स्वतंत्र चेतना नयी दिल्ली। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और किसी भी सदिग्ध गतिविधियों या उसमें शामिल व्यक्तियों के बारे में सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 सूचना देने की अपील की है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यहां हाल में घटित हुई घटनाओं को लेकर यहां अधिकारियों के साथ यात्रियों और रेल संपत्ति की सुरक्षा को लेकर उठाया जा रहे कदमों को लेकर उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस दौरान ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर से खुफिया जानकारी

न्याय प्रणाली को आरोपितों से ज्यादा पीड़ितों को प्राथमिकता देनी चाहिए: सुप्रीमकोर्ट

कहा हर घोखाघड़ी का मामला अलग होता है, पीड़ितों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है



स्वतंत्र चेतना नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्याय प्रणाली को आरोपितों से ज्यादा पीड़ितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 49 करोड़ रुपये के फजीवॉर्डे के मामले में 53 एफआईआर को एक साथ करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा कि हर घोखाघड़ी का मामला अलग होता है और पीड़ितों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने पूछा कि ऐसे अपराधों के पीड़ितों के अधिकारों का क्या होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या यह

सही होगा कि आपके अपराध के पीड़ित अलग-अलग जगहों से सिर्फ आरोपित की सुविधा के लिए एक ही जगह आए।
जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि घोखाघड़ी, टगी और साजिश का हर अपराध अलग और स्वतंत्र मामला है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को क्यों परेशान होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि मामलों में पीड़ितों को केंद्र में रखकर विचार करने की जरूरत है।
दरअसल, आरोपितों के खिलाफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्रप्रदेश में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं।

निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होंगे एसएमसी दिशा निर्देश: शिक्षा मंत्रालय

स्वतंत्र चेतना नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशानिर्देश 2026 को लेकर समाज के कुछ वर्गों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि ये दिशानिर्देश शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 2(एन)(4) के तहत आने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते ऐसे संस्थानों को अपने खर्चों के लिए केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न हो। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि ऐसे निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागितापूर्ण प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
शिक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें स्कूलों, अभिभावकों और समुदाय



की भी समान भागीदारी होती है। मंत्रालय के अनुसार, अभिभावकों, स्कूलों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना स्कूलों के समग्र संचालन को बेहतर बनाने और बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए आवश्यक है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एसएमसी दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्कूल प्रशासन में अधिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
उल्लेखनीय है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय संचालन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में केंद्रीय

भूमिका निभाती हैं। इसके प्रमुख कार्यों में विद्यालय के समग्र कार्यों की निगरानी और शैक्षणिक योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा योजना, पीएम श्री और पीएम पोषण के समग्र प्रभावी कार्यान्वयन की देख-रेख शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 मई को विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। नए निर्देशों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब एसएमसी केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कक्षा 12 तक के माध्यमिक विद्यालयों में भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन विकास समिति (एसएमडीसी) की जगह एसएमसी को लागू करने का प्रावधान किया गया है।

Stunning Sunpowered Performance Yet Again

(Figures in Crores)

	FY2026	FY2025
REVENUE	₹2,223.27	₹780.15
EBITDA	₹327.39	₹128.13
PAT	₹201.51	₹83.48

2.85x
2.56x
2.41x

2.2 GW G12R TOPCon Cell Production

START IN 90 DAYS APPROX.

The company has announced the next phase of expansion to become a fully integrated renewable energy company with projects of Solar Glass 5 GW and Solar Wafers & Ingots 5 GW to be implemented in phases over next 4 years timeframe.

ALPEX SOLAR LTD.
SOLAR
CHAIRMAN
DIN:00001210
DATE: 21-05-2026
PLACE: NEW DELHI

ALPEX SOLAR LTD.
CIN: L51909 DL 1985 PLC 171352
REGD. OFF: B-79, SHWALK ENCLAVE, NEAR MALVIYA NAGAR, NEW DELHI-110017
CORPORATE OFF: PLOT NO. 126, SITE-V, SURAJPUR INDUSTRIAL AREA, KANNA
GREATER NOIDA-201308
INFO@ALPEX.COM | ALPEXSOLAR.COM | +91 120 2241146

A fully integrated renewable energy company

Disclaimer- Mr. Rahul Dravid's engagement as Brand Ambassador pertains solely to endorsement of Alpex Solar's products and brand. No part of this association should be construed as commentary on or endorsement of the company's financial performance, statements or investment potential.

SCAN QR CODE TO DOWNLOAD FINANCIAL RESULTS

